संख्या-7/2025/78/छप्पन-2025-56-1009-003-1-2022

प्रेषक,

अभिनव कुमार चौरसिया,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
नागरिक उड्डयन,
उ0प्र0, लखनऊ।

नागरिक उड्डयन अनुभाग लखनऊ : दिनांक : 16 जनवरी, 2025

विषय: राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर अग्रिम शुल्क भुगतान के आधार पर कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को दिनांक 10 फरवरी, 2025 से दिनांक 13 फरवरी, 2025 तक निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड इटली से इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग कराये जाने हेतु विदेश यात्रा की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-242/ना0उ0नि0/आप्स-20/2017, दिनांक 27 नवम्बर, 2024 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्यपाल महोदय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) को राजकीय हेलीकॉप्टर अगुस्ता ए109एस के सिमुलेटर पर निर्माता कम्पनी की फैसिलिटी अगुस्ता वेस्टलैण्ड इटली से इन्स्ट्रूमेन्ट ट्रेनिंग तथा क्रिटिकल इमरजेन्सी ट्रेनिंग दिनांक 08 फरवरी, 2025 से दिनांक 15 फरवरी, 2025 (प्रशिक्षण अवधि के अतिरिक्त 04 यात्रा दिवस) कराये जाने के लिये विदेश यात्रा की स्वीकृति निम्नांकित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

(1) उपर्युक्त विदेश प्रशिक्षण की अवधि कै0 एस०के० गिरि, पायलट को वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2, भाग-दो से चार के मूल नियम 9(6बी)(1) के अन्तर्गत ड्यूटी पर माना जायेगा तथा उक्त अवधि में उन्हें मूल नियम-20 के अन्तर्गत वही वेतन व भत्ता देय होगा, जो उन्हें अन्यथा मिलता, यदि उन्हें विदेश प्रशिक्षण आदि के लिए न भेजा जाता।

(2) प्रशिक्षण से पूर्व अथवा बाद में सम्बन्धित अधिकारी को कोई कार्य भार ग्रहण काल नहीं दिया जायेगा, परन्तु विदेश में गन्तव्य स्थान पर जाने, वहां से भारत वापस लौटने में व्यतीत हुआ उचित समय प्रशिक्षण/विदेश यात्रा काल का अंश माना जायेगा।

(3) कै0 एस0के0 गिरि, पायलट को भारत से इटली एवं भारत की वापसी की हवाई यात्रायें नियमानुसार उन्हें अनुमन्य श्रेणी में करनी होगी और उन्हें वही यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा, जो भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों एवं आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

(4) कै0 एस0के0 गिरि, पायलट को अपनी तैनाती के स्थान से भारत में हवाई अड्डे तक जाने तथा वापसी की यात्रा में भारत के हवाई अड्डे से अपनी तैनाती के स्थान तक के लिए की गयी

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

यात्राओं के सम्बन्ध में उन पर लागू होने वाले नियमों के अधीन सामान्य शर्तों एवं दरों पर ग्राह्य यात्रा भत्ता देय होगा।

(5) विदेश में किये गये अवस्थान (हाल्ट) और वहां की यात्राओं के लिए उन्हें दैनिक भत्ता/यात्रा भत्ता उन दरों पर देय होगा, जिन दरों पर भारत सरकार के समान वेतन पाने वाले अधिकारियों को समान परिस्थितियों में भारत सरकार के नियमों/आदेशों के अधीन अनुमन्य है।

(6) विदेश यात्रा हेतु स्वीकृत धनराशि का समायोजन वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर जारी किए गये विदेश यात्राओं से सम्बन्धित शासनादेशों के तहत किया जायेगा। आहरित धनराशि के अनियमितता के लिए आहरण एवं वितरण अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

(7) विदेश यात्राओं/फर्म को भुगतान की गई धनराशि एवं स्वीकृत धनराशि के समायोजन का प्रमाण-पत्र शासन को भी प्रेषित किया जाय।

(8) निदेशक, नागरिक उड्डयन यह सुनिश्चित कर लेंगे कि कै0 एस0के0 गिरि, पायलट (रोटर विंग) के विरूद्ध कोई सतर्कता जांच/विभागीय जांच लम्बित न हो। उक्त के अतिरिक्त आयोजित प्रशिक्षण, सेमिनार, विचार गोष्ठी इत्यादि में प्रतिभाग करने के सम्बन्ध में कार्मिक विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनदेशों एवं शर्तों एवं प्रतिबन्धों का सम्यक अनुपालन सुनिश्चित कर लिया जाये।

2- उक्त विदेश यात्रा पर संन्निहित व्यय की स्वीकृति पृथक से जारी की जा रही है।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या:जी-1-यू0ओ0-03/दस-2025, दिनांक 16 जनवरी, 2025 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

संख्या-7/2025/78(1)/छप्पन-2025 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), उ0प्र0, इलाहाबाद।

2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ-10

3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

4- वित्त (सामान्य) अनुभाग-1/2 वित्त (लेखा) अनुभाग-1

5- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7

6- सचिव, भारत सरकार, नागर विमानन मंत्रालय/इकोनॉमिक अफेयर्स, मंत्रालय, नई दिल्ली।

7- सम्बन्धित अधिकारी/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अभिनव कुमार चौरसिया
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in